भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *22
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा तैयारी संबंधी दिव्यांग-समावेशी दिशानिर्देश

†*22. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सेंडाई ढांचे के अनुरुप आपदा तैयारी संबंधी दिव्यांग-समावेशी दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण या आपातकालीन तैयारी संबंधी अभ्यासों में दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्डूडी) सक्रिय रुप से शामिल रहे हैं; और

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने आपदा आश्रय और आपातकालीन राहत केन्द्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मानकों के अंतर्गत सुगम्य प्रमाणित किया गया है अथवा जिनकी सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सुगम्यता संबंधी संपरीक्षा की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

"आपदा तैयारी संबंधी दिव्यांग-समावेशी दिशानिर्देश" के संबंध में दिनांक 02.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *22 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 22, दिनांक 02.12.2025

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप "दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिशानिर्देश (2019)" तैयार किए हैं।

सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप ये दिशानिर्देश आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में, दिव्यांग व्यक्तियों तथा उनसे संबंधित संगठनों की भागीदारी के माध्यम से, समावेशन और सुलभता के महत्व पर जोर देने पर आधारित हैं।

(ख): एनडीएमए संभावित विनाशकारी बहु-जोखिम परिदृश्यों के आधार पर राज्यों में वार्षिक मॉक अभ्यास आयोजित करता है ताकि 'सरकार और समाज का समग्र' दृष्टिकोण को कार्यान्वित और पुष्ट किया जा सके। ये मॉक अभ्यास समुदायों और स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी वाले बहु-एजेंसी कार्यक्रम हैं। दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को इन आयोजनों में शामिल किया जाता है।

अभ्यास के दौरान, अंतर्निहित दिव्यांगता की स्थिति में पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) की जांच करने के लिए ड्रिल और रेस्पोंस का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, सफेद बेंतों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, बधिर व्यक्तियों, बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और मनोसामाजिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालना शामिल है। इन परिदृश्यों में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्तियों) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मल्टी चैनल पूर्व चेतावनी का भी परीक्षण किया जाता है जैसे कि: लाउडहेलर, विजुअल बीकन, एसएमएस, सुलभ ऐप, सरल भाषा, पिक्टोग्राम आदि। रेस्पोंस के दौरान, भौतिक और प्रक्रियात्मक पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) की भी जांच की जाती है जैसे कि: रैंप, हैंडरेल, साइनेज, लाइटिंग, सुरक्षित आश्रय क्षेत्र, राहत केंद्रों पर कतारें, सुलभ शौचालय और देखभाल करने वालों तथा गाइड कुत्तों के लिए स्थान।

मल्टी-स्पेक्ट्रल इवेंट होने के नाते, मॉक अभ्यास केवल कुछ परिदृश्यों को शामिल करके पीडब्ल्यूडी से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकता है। इसलिए मॉक अभ्यासों (एमई) से मिली सीख पर कार्रवाई करना और आगे की तैयारी करने की जिम्मेदारी राज्य और जिलों की होती है। एनडीएमए एक निगरानी करने वाली एजेंसी है जो राज्यों का मार्गदर्शन करती है, उन्हें अभ्यास (एक्सरसाइज) से पहले और एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कार्रवाई करने वालों, स्वयंसेवकों, स्कूल के कर्मचारियों और सामुदायिक नेताओं को, दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने, संचार और सुरक्षित सहायता तकनीकों पर प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राज्यों को दिव्यांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों के अनुरूप तैयारी प्रशिक्षण प्रदान

करने के लिए भी कहा गया है जैसे कि: व्यक्तिगत निकासी योजना, उपकरण के पुर्जों/दवाओं सहित गो बैग, और आपात स्थिति में होने वाली जरूरतों संबंधी सूचना देना।

(ग): यह मंत्रालय ऐसे आपदा आश्रय और आपातकालीन राहत केंद्रों की संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं रखता है जिन्हें एनडीएमए मानदंडों के अनुसार सुलभ के रूप में प्रमाणित किया गया है अथवा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन (सुगम्य भारत अभियान) के तहत सुलभता के लिए, जिनकी जांच की गई है।

******